मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3634
10.08.2026 को उत्तर के लिए

झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण

3634. **श्री नारायण तातू राणेः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में कितनी नदियों को प्रदूषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने झीलों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए कोई नई योजना लागू की है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के 'जल गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देश, 2017' नामक मानदंडों दिशानिर्देशों के अनुसार जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करती हैं। जल गुणवत्ता डेटा का उपयोग जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के स्तर के रूप में मापे जाने वाले कार्बनिक भार के स्तर के आधार पर प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान करने के लिए किया जाता है। देश में सीपीसीबी द्वारा निगरानी किए जा रहे प्रदूषित नदी खंडों की संख्या वर्ष 2018 में 351 से घटकर वर्ष 2025 में 296 हो गई है।

देश भर में औद्योगिक प्रदूषण को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत सहमति तंत्र (उद्योगों की स्थापना और संचालन हेतु सहमति) के माध्यम से विनियमित किया जाता है। इसके साथ ही, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत उद्योगों की विशिष्ट श्रेणियों को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान करके तथा परियोजना के बाद की निगरानी के लिए उद्योगों द्वारा अर्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करके विनियमित किया जाता है।

इसके अलावा, स्व-विनियमन को मजबूत करने के उद्देश्य से, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों को एसपीसीबी/पीसीसी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सर्वर से जुड़े तात्कालिक निगरानी और चेतावनी तंत्र के लिए ऑनलाइन सतत उत्सर्जन/अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने हेतु अधिदेशित किया गया है। ओसीईएमएस से प्राप्त चेतावनियों के आधार पर, सीपीसीबी चयनित उद्योगों का औचक निरीक्षण भी करता है और नियमों का पालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में झीलों सहित आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजना, 'राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए)' का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में अपशिष्ट जल का अवरोधन, पथ-परिवर्तन और शोधन, तटरेखा संरक्षण, स्व-स्थाने स्वच्छीकरण अर्थात् गाद निकालना और खरपतवार हटाना, जैव विविधता संरक्षण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव उपचार, वृक्षारोपण और सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन सहित जलग्रहण क्षेत्र उपचार, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव बाड़ लगाना, मत्स्य पालन सहित संधारणीयआजीविका विकास, पारि-पर्यटन विकास, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

एनपीसीए योजना आर्द्रभूमि और उसके आसपास के क्षेत्रों में पारि-पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, " समग्र-सरकारी दृष्टिकोण" के अनुरूप, सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालय/विभाग भी आर्द्रभूमि के संरक्षण और पुनर्बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्बहाली (आरआरआर), जल शक्ति अभियान, मिशन अमृत सरोवर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), अटल भूजल योजना तथा अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शामिल हैं।
